

प्रेस नोट

थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत दिनांक 22.04.2021

गौकशी के लिए बछिया ले जा रहे अभियुक्त एक अभियुक्त गिरफ्तार व अन्य दो साथी अभियुक्त मौके से फरार

दिनांक 21.04.2021 को उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में रात्रि बार्डर चैकिंग व निगरानी के अनुक्रम में उ0नि0 सुन्दर सिंह द्वारा बन्डा बार्डर पर अपने हमराहीयान के साथ चैकिंग की जा रही थी कि कार i10UP14BA3707 आती दिखाई दी उ0नि0 सुन्दर सिंह द्वारा रोकने पर चालक ने तेजी के साथ के साथ गाडी को मोड़ा अधिक स्पीड होने के कारण गाडी गड्डे में पलट गयी जिसमें मौके पर घायल अवस्था में अभियुक्त यासीन पुत्र नबीजान उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम हजियापुर थाना बारादरी जनपद बरेली को समय करीब 22.50 बजे घटनास्थल बन्डा बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। अन्य दो साथी मौके पर फरार हो गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग संख्या 139/2021 धारा 3,5,8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 पंजीकृत हुआ है। अभियोग की विवेचना उ0नि0 अखिलेश सिंह चौहान द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. यासीन पुत्र नबीजान उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मौ 0हजियापुर थाना बारादरी जनपद बरेली
हुलिया - आँख, नाक, कान व कद औसत रंग साँवला उम्र करीब 40 वर्ष।

फरार अभियुक्त

01. वसीम पुत्र रमजानी निवासी मोहल्ला गोटिया कस्बा रिछा जनपद बरेली
02. आमिर पुत्र जलील निवासी रिछा जनपद बरेली

बरामद माल

एक रास बछिया , एक पुलिन्दा में दो अदद छुरी , एक अदद चापड़ , एक रेती , एक तिरपाल प्लास्टिक , दो रस्सी , एक अदद कार
i10 UP 14BA3707

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- उ0नि0 सुन्दर सिंह
- हे0का0 289 दिलीप सिंह
- हे0का0 296 अवधेश शर्मा
- का0 1361 संजीव कुमार